

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

पत्र संख्या-92-1-10-2010/पेंशन पु0मु0 .....

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग सं0-13 बजट शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड N2049607010003, विषय शीर्ष 45 01-ब्याज के अंतर्गत निधि का उप आवंटन।

- आदेश :- निदेशानुसार उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अंतर्गत वित्त विभाग के आवंटनादेश सं0-866/वि0, दिनांक 02.09.2016 के आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-3097/2009 लीलावती सिंह बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि ₹ 21,24,845 (इक्कीस लाख चौबीस हजार आठ सौ पैतालीस रू0) मात्र की राशि उप आवंटित की जाती है।
- आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि (2), दिनांक 17.04.1998 में निहित प्रावधान के अंतर्गत है।
  - आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
  - आवंटित राशि का व्यय विवरण अगले माह की 15 तारीख तक अवश्य भेज दें।
  - इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), पटना को भी भेजी जा रही है।
  - उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-92-1-10-2010/पेंशन पु0मु0 .....पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/अपर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/श्रीमती लीलावती सिंह, पति-स्व0 राम व्यास सिंह, रामदेव नगर महादेवा, जिला-सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-92-1-10-2010/पेंशन पु0मु0 .....पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- सरकारी अधिवक्ता सं0-07, श्रीमती निवेदिता निर्विकार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा  
02/09/16

सरकार के अवर सचिव

राधा